न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या :– 17/2016

1. ग्राम पंचायत 4 जैड पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये सरपंच श्रीमति ममता रानी।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. हरबंस कपूर पुत्र श्री रामप्रताप जाति कपूर निवासी 59 आर्दशनगर श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री काशीराम रिणवां अधिवक्ता	अपीलान्ट
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता	रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पैरोकार राज	रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.05.2018

अपीलान्ट की ओर से इन्तकाल नम्बर 530 दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इन्तकाल नम्बर 530 जो पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया है, उसमें इन्तकाल का आधार इन्तकाल के कालम नम्बर 14 में बैयनामा का किया गया है और बैयनामा के विवरण में उप पंजीयक महोदय प्रकरण संख्या 170/14 क्रमांक 16208 दिनांक 20.05.2014 पर पंजीबद्ध होनें का हवाला दिया गया है। इस इन्तकाल के विरूद्ध ग्राम पंचायत के पूर्व संरपंच लाजिन्द्रसिंह बराड़ को असलियत की जानकारी हुई कि इन्तकाल में जिस बैयनामा का हवाला दिया गया है वह बैयनामा नहीं है वह केवल ईकरारनामा है। इस पर उप पजीयक महोदय द्वारा केवल कमी स्टाम्प वसूली करनें का आदेश है, और यह प्रलेख बैयनामा नहीं है और इस कथन के साथ ग्राम पंचायत द्वारा नागान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 20.08.2014 को पुर्नविचार कर निरस्त करनें हेतु आवेदन पत्र पेश किया था। पूर्व सरपंच नें इस आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत 4 जैड़ द्वारा दिनांक 20.07.2015 को पुर्न विचार किया गया और इस पर ग्राम पंचायत का दिनांक 20.08.2014 का कार्यवाही रजिस्टर भी देखा तो पाया कि दिनांक 20.08.2014 के कार्यवाही रजिस्टर में इस इन्तकाल को तस्दीक करनें का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया हुआ नहीं है, और इन्तकाल तस्दीक का आदेश केवल सरपंच का ही है। और पंचायत नें यह भी निष्कर्ष निकाला कि दस्तावेज जिसके आधार पर इन्तकाल तस्दीक हुआ व विधिवत बैयनामा नहीं है इसलिये विधि सम्वत् प्रलेख नहीं है और इस पर राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बने भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 123 का आधार लेकर इन्तकाल संख्या 530 दिनांक 20.07.2015 को निरस्त कर दिया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2015 को पूर्व इन्तकाल नम्बर 530 निरस्त करनें के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में हरबंश कपूर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 26/2015 प्रस्तुत की गई है माननीय न्यायालय द्वारा इस अपील का निर्णय दिनांक 30.05.2016 को किया गया और इसमें माननीय न्यायालय नें बिना सुनें जो एक तरफा आदेश दिया वह सी.पी.सी. व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों के अनुसार न्यायोचित नहीं

लगातार..... 2

है और पुनरावलोकन का जो आधार बताया गया है वह अपील का आधार हो सकता है पुनरावलोकन का क्षैत्र अत्यन्त समिति है और वह पुनरावलोकन का आधार नहीं है, पक्षकारों को अन्य उचित विधिक आधार अपनानें चाहीये थे और इस निष्कर्ष के साथ ग्राम पंचायत का दिनांक 20.07.2015 का जो पूर्व इन्तकाल संख्या 530 को खारिज करनें का आदेश था उसे खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय के इस आदेश का प्रभाव यह हुआ कि सरपंच 4 जैड द्वारा जो दिनांक 20.08.2014 को विधि विरूद्ध आदेश से इन्तकाल संख्या 530 तस्दीक किया गया था वह पुनः बहाल हो गया है और इस प्रकार ग्राम पंचायत के नाम से विधि विरूद्ध आदेश कायम रहनें से ग्राम पंचायत की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और ऐसी सूरत में इस विधि विरूद्ध आदेश के कायम रहनें से विपरित रूप से प्रभावित होनें से व्यथित पक्षकार है और इस इन्तकाल संख्या 530 दिनांक 20.08.2014 को चुनौती देनें की अधिकारी है। इसके लिये माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

इन्तकाल संख्या 530 दिनांक 20.08.2014 ग्राम पंचायत के दिनांक 20.08.2014 की कार्यवाही रजिस्टर में कोई प्रस्ताव लेकर स्वीकृत किया हुआ नहीं होनें से केवल सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित होनें से यह इन्तकाल ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया हुआ नहीं माना जा सकता । अपीलाधीन इन्तकाल में प्रस्ताव संख्या 7 का नाम लिया गया है जबकि कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.08.2014 में प्रस्ताव संख्या 7 या अन्य कोई प्रसताव अपीलाधीन इन्तकाल के बारे में नहीं है इसी आधार पर यह गलत आदेश व इन्तकाल निरस्त होनें योग्य है।

पटवारी हल्का नें जिस प्रलेख को बैयनामा लिखकर इन्तकाल में गलत रिपोर्ट कर ईकरारनामा को बैयनामा होना झूठा दर्शाया गया है वह तत्कालीन सरपंच नें पटवारी की इस गलत रिपोर्ट को सही मानकर अपनें हस्ताक्षरों से स्वीकृत किये जानें का आदेश सरपंच नें दिया है वह आधारहीन होनें व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जानें योग्य है ऐसे गलत आदेश की विधि सम्वत् बनें रहने से राजस्व विभाग की साख व ग्राम पंचायत की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाता है इसे निरस्त किया जाकर पूर्व रिकार्ड जो कृष्ण पुत्र मदनचन्द के नाम का है उसे बहाल किया जाना आवश्यक है।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2014 का जो इन्तकाल संख्या 530 स्वीकृत किया गया की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं थी क्योंकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में इसका कोई अंकन नहीं था पटवारी हल्का नें भी इन्तकाल तस्दीक के बाद स्वीकृत किया इन्तकाल ग्राम पंचायत में पेश नहीं किया, वर्तमान समय में पूर्व सरपंच को पटवारी हल्का की इस विधि विरूद्ध पोशिदा रूप से की गई कार्यवाही की जानकारी होनें पर इन्तकाल के आधार पर विधि पूर्वक खरीदशुदा नहीं हुआ होनें से ग्राम पंचायत नें दिनांक 20.08.2015 को जो आवेदन पत्र पेश किया और इस पर इन्तकाल संख्या 530 तलब किया गया तो कुल स्थिति की जानकारी हुई और इस पर यह आदेश इन्तकाल निरस्त कर दिया गया था परन्तु इसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय में अपील पेश करनें व उसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2016 को करनें व माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश के विरूद्ध अपील पेश करनें की राय प्रकट करनें पर यह अपील पेश की जा रही है। अपील की देरी में दिनांक 20.07.2015 से पूर्व इन्तकाल संख्या 530 की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी व माननीय न्यायालय में अपील संख्या 26/2015 पेश होनें की दिनांक से निर्णय की दिनांक तक ग्राम पंचायत के आदेश से पूर्व इन्तकाल निरस्त रहा था इस कारण अपील के लम्बनकाल व उसके निर्णय के दिनांक तक अपीलान्ट को अपील पेश करनें की कोई परिस्थितियां व आवश्क्ता नहीं थी अपील की आवश्यक्ता व परिस्थितियां माननीय न्यायालय

लगातार..... 3

के आदेश दिनांक 31.05.2016 से उपलब्ध हुई है उपरोक्त प्रकार से जिस समयावधि में अपील पेश नहीं की गई उसमें हुइ देरी की क्षमा प्राप्त का अपीलान्ट अधिकारी है जिसके लिये दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। देरी की छुट पाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि पेश है जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत दिनांक 20.08.2014 जिसकी रूह से इन्तकाल संख्या 530 तस्दीक किया को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि

इन्तकाल के कालम नम्बर 14 में बैयनामा का किया गया है और बैयनामा के विवरण में उप पंजीयक प्रकरण संख्या 170/14 क्रमांक 16208 दिनांक 20.05.2014 का उल्लेख है यह इकरारनामा दिनांक06.01.1998 को पूर्ण मुद्राक हेतु प्रस्तुत कर मुद्रांक शुल्क जमा करवाया गया है, बैयनामा नहीं हुआ है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अनुसार किसी भी अपंजीकृत दस्तावेज का नामान्तरकण नहीं किया जा सकनें के कारण अपील स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

हमने उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को सुना बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि नामान्तरकरण 530 इकरारनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा अपनें अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर स्वीकृत किये जानें से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 4 जैड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 20.08.2014 विधि विरूद्ध स्वीकृत होनें के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एंव ग्राम पंचायत 4 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 24.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 जैड़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर